संख्या-1163/2025/1809/22-2-2025-17(969)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2* *लखनऊ: दिनांक 12 सितम्बर, 2025*

विषय:- जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी फुल्लन पुत्र श्री मोसिम अली, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी फुल्लन पुत्र श्री मोसिम अली, कादीपुर,थाना-को0 नगर,जनपद-प्रतापगढ़ का निवासी है। पुरानी दुश्मनी के कारण दिनांक 16.07.1996 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा, आग्नेयास्त्र व गोली से मारकर 01 व्यक्ति को घायल करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-57/1997 में भा0द0वि0 की धारा-307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के दण्डादेश दिनांक 01.08.2000 द्वारा 07 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 09.11.2023 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.12.2024 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.07.2025 तक 05 वर्ष 03 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 06 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16.07.2025 तक बन्दी की 67 वर्ष की आयु मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त 07 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 16.07.2025 तक अपरिहार 05 वर्ष 03 माह 15 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष 06 माह 24 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी फुल्लन (बन्दी संख्या-53/2024) पुत्र श्री मोसिम अली, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1163/2025/1809(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगाार, लखनऊ को किमि० मिस० रिट याचिका सं0-6152/2025 फुल्लन उर्फ भुल्लन व अन्य बनाम श्री राज्यपाल, उ०प्र० राजभवन, लखनऊ थ्रो प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।